

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 743] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 25, 2016/कार्तिक 3, 1938 No. 743] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 25, 2016/KARTIKA 3, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अक्तूबर, 2016

सा.का.नि. 1004(अ).—केंद्रीय सरकार, बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम, 1988 (1988 का 45) की धारा 68 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध नियम, 2016 है।
- (2) यह 1 नवंबर, 2016 से लागू होंगे ।
- 2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,--
 - (क) "अधिनियम" से बेनामी संपत्ति संव्यवहार अधिनियम, 1988 (1988 का 45) अभिप्रेत है ;
 - (ख) "अध्याय" से अधिनियम का अध्याय अभिप्रेत है ;
 - (ग) "प्ररूप" से इन नियमों में उपाबद्ध प्ररूप अभिप्रेत है ;
 - (घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है ;
- (2) इन नियमों में उपयुक्त शब्द और पद, जो परिभाषित नहीं है किंतु भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का 2), भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39), भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का 9), आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22), धन-शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15), सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013

4986 GI/2016 (1)

का 18) या उन अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, का क्रमश: वही अर्थ होगा जो उनका उन अधिनियमों और नियमों में है।

- **3. कितपय मामलों में कीमत का अवधारण.—**(1) अधिनियम की धारा 2 के खंड 16 के उपखंड (ii) के प्रयोजनों के लिए कीमत का अवधारण निम्नलिखित रीति में किया जाएगा, अर्थात् :--
 - (क) कोट न किए गए साम्या शेयरों की कीमत निम्नलिखित से उच्चतर होगी,--
 - (I) उसके अर्जन की लागत ;
 - (II) ऐसे साम्या शेयरों का संव्यवहार की तारीख को वाणिज्यिक बैंकर या किसी लेखापाल द्वारा मितीकाटा मुक्त रोकड़ प्रवाह विधि के अनुसार अवधारित उचित बाजार मूल्य ; और
 - (III) निम्नलिखित रीति में यथा अवधारित ऐसे साम्या शेयरों का संव्यवहार की तारीख को मूल्य, अर्थात् :--

कोट न किए गए साम्या शेयरों का उचित बाजार मूल्य = (ए+बी-एलx(पीवी)/(पीई) जहां,

ए = सभी आस्तियों का बही मूल्य (बुलियन, आभूषण, बहुमूल्य रत्न, कलाकृतियां, शेयर, प्रतिभूतियों और जंगम संपत्ति से भिन्न), जिसमें से,--(i) आय-कर की संदत्त कोई रकम, यदि कोई हो, घटा दिया गया है, जिससे कम की गई दावा की गई आय-कर प्रतिदाय की कोई रकम, यदि कोई हो, को घटा दिया गया है, और (ii) आस्ति के रूप में उपदर्शित कोई रकम, जिसके अंतर्गत आस्थिगित व्यय की अपाकरण न की गई रकम शामिल है, जो किसी आस्ति के मूल्य को उपदर्शित नहीं करती है;

बी = वह कीमत, जो बुलियन, आभूषण, बहुमूल्य रत्न, कलाकृतियां, शेयर, प्रतिभूतियां और जंगम संपत्ति की खुले बाजार में संव्यवहार की तारीख को बिक्री से साधारणतया प्राप्त होता ;

एल = दायित्वों का वही मूल्य किंतु जिसके अंतर्गत निम्नलिखित रकम शामिल नहीं है, अर्थात् :--

- (i) साम्या शेयरों के संबंध में समादत्त पूंजी ;
- (ii) अधिमानी शेयरों और साम्या शेयर पर लाभांश के संदाय के लिए अलग रखी गई रकम ;
- (iii) अवक्षयण के लिए अलग रखे गए से भिन्न आरक्षितियां और आधिक्य, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, यहां तक कि यदि परिणामी संख्या नकारात्मक है तो भी ;
- (iv) सम्बद्ध लागू विधियों के अनुसार बही खाता लाभों के संदर्भ में संदेय कर से आधिक्य के परिमाण तक संदत्त आय-कर की रकम, यदि कोई हो, से प्रतिदाय के रूप में दावा की गई आय-कर की रकम, यदि कोई हो, घटाकर से भिन्न कर के लिए उपबंधों को उपदर्शित करने वाली कोई रकम:
- (v) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न दायित्वों को चुकाने के लिए किए गए उपबंधों को उपदर्शित करने वाली कोई रकम;
- (vi) संचयी अधिमानी शेयरों के संबंध में संदेय लाभांश के बकाया से भिन्न आकस्मिक दायित्वों को उपदर्शित करने वाली कोई रकम:

पीई = तुलन-पत्र में यथा उपदर्शित समादत्त शेयर पूंजी की कुल रकम ;

पीवी = ऐसे साम्या शेयरों का समादत्त मूल्य ;

- 4. सूचना प्रस्तुत करना.—धारा 21 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 285खक की उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या ऐसा अन्य प्राधिकारी या अभिकरण, जिसे धारा 285खक की उक्त उपधारा के अधीन विहित किया गया है, इलैक्ट्रानिकी रूप से उसके द्वारा उस अधिनियम की धारा 285खक की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त विवरण की प्रति आरंभ करने वाले अधिकारी या ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण को, जो प्रारंभ करने वाले अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जाए, को उस मास, जिसको उक्त विवरण प्राप्त किया गया है, के अंत से 15 दिन पर या उससे पूर्व पारेषित करेगा।
- 5. अनंतिम कुर्की.—धारा 24 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए प्रारंभ करने वाला अधिकारी अनंतिम रूप से किसी संपत्ति को आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की दूसरी अनुसूची में उपबंधित रीति में कुर्क कर सकेगा।
- 6. धारा 27 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन संपत्ति का अधिहरण.—(1) जहां धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन संपत्ति के अधिहरण का कोई आदेश किया गया है वहां न्यायनिर्णयन प्राधिकारी आदेश की एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी को भेजेगा।
- (2) जहां उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट आदेश प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में प्राप्त किया जाता है, वहां वह,--
 - (i) तुरंत वह ऐसी स्थावर संपत्ति के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अधिकारिता रखने वाली, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार को संपत्ति के अधिहरण के विषय में संसूचित करते हुए सूचना जारी करेगी;
 - (ii) साधारण जनता के फायदे के लिए स्थावर संपत्ति के किसी सहज दृश्य भाग पर स्पष्ट रूप से अंग्रेजी और जन भाषा में सूचना की एक प्रति लगाएगा, जिसमें यह वर्णन होगा कि संपत्ति का अधिनियम के अधीन अधिहरण कर लिया गया है और वह पूर्ण रूप से केंद्रीय सरकार में विहित है;
 - (iii) ढोल बजाकर या अन्य प्रथा के अनुसार ऐसी संपत्ति पर या उसके नजदीक किसी स्थान पर स्थावर संपत्ति के अधिहरण की उदघोषणा के लिए प्रबंध करेगा ;
- (3) जहां प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई आदेश प्राप्त किया गया है, वहां वह.--
 - (i) तुरंत उस स्थावर संपत्ति की अभिरक्षा रखने वाले प्राधिकारी या व्यक्ति को ऐसी संपत्ति के अधिहरण के विषय में सुचित करते हुए सुचना जारी करेगा ; या
 - (ii) संपत्ति का संबंधित न्यायनिर्णयन प्राधिकारी की अनुमित से विक्रय कर देगा यदि संपत्ति शीघ्रता से और प्राकृतिक रूप से क्षयशील है या उसके अनुरक्षण पर होने वाला व्यय उसके मूल्य से अधिक होने की संभावना है और विक्रय से आगत को नजदीकी सरकारी खजाने या भारतीय स्टेट बैंक या उसकी समनुषंगियों की शाखा में या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में आविधिक जमा में जमा कर देगा और उसकी रसीद को प्रतिधारण करेगा:

परंतु जहां संपत्ति का स्वामी भारतीय स्टेट बैंक या उसकी मसनुषंगियों या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में संपत्ति के मूल्य के समतुल्य आवधिक जमा की प्रशासक के नाम रसीद प्रस्तुत कर देता है तो प्राधिकारी अधिकारी ऐसे आवधिक जमा की ससीद को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार कर सकेगा और प्रतिधारित करेगा:

परंतु यह और कि जहां स्थावर संपत्ति किसी भी प्रकार के हस्तातंरण का ढंग है तो प्राधिकृत अधिकारी, यथास्थिति, मोटर अनुज्ञप्ति प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी से उसके मूल्यांकन की रिपोर्ट अभिप्राप्त करने के पश्चात् प्रशासक के नाम भारतीय स्टेट बैंक या उसकी समनुषंगियों या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में स्थावर संपत्ति के मूल्य के समतुल्य आवधिक जमा को प्रतिभूति के रूप में स्वीकार और प्रतिधारित कर सकेगा:

- (iii) संपितत, जिसमें रोकड़, सरकारी या अन्य प्रतिभूतियां या बुलियन या आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं हैं, को प्रशासक के नाम से, यथास्थिति, लॉकर में या आवधिक जमा में भारतीय स्टेट बैंक या उसकी समनुषंगियों में या किसी अन्य राष्ट्रीकृत बैंक में जमा करवाएगा या उसकी रसीद को प्रतिधारित करेगा;
- (iv) शेयर, डिबेंचर, पारस्परिक निधि की यूनिटों या विलेखों के रूप में संपत्ति को प्रशासक के नाम अंतरित करवाएगा ;
- (v) यथास्थिति, बैंक या वित्तीय संस्था को प्रशासक के खाते में धन को अंतरित और प्रत्यय करने का वहां निदेश जारी करेगा जहां संपत्ति धन के रूप किसी बैंक या वित्तीय संस्था में है।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए "प्राधिकृत अधिकारी" से आय-कर अधिकारी अभिप्रेत है, जिसे न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है।

- 7. धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अधिहरण की गई संपत्ति की रसीद.—प्रशासक अधिहरण की गई संपत्ति को प्राप्त करते समय धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन किए गए आदेश में वर्णित विशिष्टियों को निर्दिष्ट करते हुए ऐसी संपत्ति की उचित पहचान का सुनिश्चय करेगा।
- 8. धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन अधिहरण की गई संपत्ति का प्रबंधन.—(1) जहां अधिहरण की गई संपत्ति ऐसी प्रकृति की है कि कुर्की किए गए स्थान से उसको हटाना अव्यवहार्य है या उसको हटाने में अंतर्वलित व्यय संपत्ति के मूल्य के अनुपात से बाहर है तो प्रशासक संपत्ति की कुर्की के स्थान पर संपत्ति के उचित अनुरक्षण और अभिरक्षा का प्रबंध करेगा।
- (2) यदि अधिहरण की गई संपितत में नकद, सरकारी या अन्य प्रतिभूतियां, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुएं हैं तो प्रशासक उनको नजदीकतम सरकारी खजाने या भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा या भारतीय स्टेट बैंक या उसकी समनुषंगियों में या किसी प्राधिकृत बैंक में जमा करवाएगा।
- (3) प्रशासक स्थावर संपत्ति जैसे रोकड़, सरकारी या अन्य प्रतिभूतियां, बुलियन, आभूषण या अन्य मूल्यवान वस्तुओं के संबंध में ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 1 में प्रविष्टियों को अभिलिखित करने के लिए हैं एक रजिस्टर रखेगा।
- (4) प्रशासक, यथास्थिति, खजाने या बैंक से उपनियम (3) में कथित स्थावर संपत्तियों को जमा कराने की रसीद अभिप्राप्त करेगा।
- (5) प्रशासक उपनियम (3) में निर्दिष्ट संपत्तियों से भिन्न संपत्ति के संबंध में प्रविष्टियों को अभिलिखित करने के लिए इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 2 में ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक रजिस्टर रखेगा ।
- 9. धारा 28 की उपधारा (3) के अधीन अधिहरण की गई संपत्ति का निपटान.—जहां केंद्रीय सरकार ये निदेश देती है कि धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन उसमें निहित संपत्ति का निपटान किया जाए तब प्रशासक आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की दूसरी अनुसूची में दी गई रीति में संपत्ति का निपटान करने के लिए प्रबंध करेगा।
- **10. अपील अधिकरण को अपीलें.—**(1) इस अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन अपील अधिकरण को अपील इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप 3 में होगी।
 - (2) अपील फाइल करने के समय प्रत्येक अपील के साथ दस हजार रुपए की फीस संलग्न होगी।

- (3) अपील में स्पष्ट रूप से और सुभिन्न शीर्ष के अधीन अपील किए गए आदेश के विरुद्ध आक्षेप के आधारों को दर्शाया जाएगा और ऐसे आधारों को सतत रूप से संख्यांकित किया जाएगा ; और उसमें तामील किए जाने के पते को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिसमें अपील अधिकरण की सूचना या अन्य प्रक्रियाओं की अपीलार्थी पर तामील की जा सकेगी तथा उसमें वह तारीख होगी जिसमें वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, की तामील की तारीख होगी।
- (4) जहां अपील धारा 46 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट पैंतालीस दिन की अविध के अवसान के पश्चात् की जाती है वहां उसके साथ चार प्रतियों में सम्यकत: सत्यापित, दस्तावेजों द्वारा समर्थित, यदि कोई हों, जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है, जिसमें उन कारणों को उपदर्शित किया गया हो, कि कैसे अपील अपीलार्थी को पैंतालीस दिन की अविध के भीतर अपील करने से निवारित किया गया था, एक याचिका संलग्न होगी।

प्ररूप 1

[नियम 8(3) देखें]

अधिहरण की गई संपत्ति के प्रबंधन का रजिस्टर (स्थावर)

आदेश संख्या

संपत्तियों को प्राप्त करने की तारीख

संपत्तियों का विवरण (मात्रा, रकम, प्राक्कलित या प्राक्कलित मूल्य)

बेनामीदार और फायदाग्राही स्वामी का नाम और पता, यदि उसकी पहचान ज्ञात हो तो

उस खजाने या बैंक का नाम और पता, जहां संपत्तियों को सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जमा किया गया है

अधिहरण की गई संपत्तियों को खजाने या बैंक में जमा करने की तारीख और समय

खजाने या बैंक से तारीख सहित अभिप्राप्त रसीद की संख्या

प्रशासक की टिप्पणियां

(प्रशासक के हस्ताक्षर) प्रशासक का नाम

तारीख:

मुहर

प्ररूप 2

[नियम 8(5) देखें]

अधिहरण की गई संपत्ति के प्रबंधन का रजिस्टर (अस्थावर)

आदेश संख्या :

संपत्तियों को प्राप्त करने की तारीख:

संपत्तियों का विवरण

(भूमि की दशा में :-- क्षेत्र, सर्वेक्षण संख्या, प्लाट संख्या, अवस्थिति और पूर्ण पता । भवन की दशा में : मकान संख्या, अवस्थिति और पूर्ण पता)

अपीलार्थी का नाम

बेनामीदार और फायदाग्राही स्वामी का नाम और पता, यदि उसकी पहचान ज्ञात हो तो
प्रशासक की टिप्पणियां
(प्रशासक के हस्ताक्षर)
प्रशासक का नाम
तारीख :
मुहर
प्ररूप 3
[नियम 10(1) देखें]
 से
(यहां अपीलार्थी के नाम और पते का वर्णन करें)
सेवा में,
रजिस्ट्रार,
अपील अधिकरण,
(पता)
महोदय,
पूर्वोक्त अपीलार्थी न्यायनिर्णयन प्राधिकरण (न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का पता) द्वारा पारित आदेश संख्या
········· तारीख ········ के विरुद्ध बेनामी संपत्ति संव्यवहार प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 46 के अधीन निम्नलिखित तथ्यों और आधारों पर अपील करने की प्रार्थना करता है ।
तथ्य
पन्न (यहां संक्षिप्त में मामले के तथ्यों का वर्णन करें । न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की प्रति और अन्य सुसंगत
दस्तावेजों की प्रतियां, यदि कोई हों, संलग्न करें)
आधार
(यहां उन आधारों का वर्णन करें, जिन पर अपील की गई है)
प्रार्थना
त्रायमा पूर्वोक्त कथित के आलोक में अपीलार्थी निम्नलिखित अनुतोष की प्रार्थना करता है :
इंप्सित अनुतोष
(ईप्सित अनुतोष को विनिर्दिष्ट करें)
घोषणा
इन नियमों के नियम 10 के उपनियम (2) में यथावर्णित इस अपील के लिए संदेय फीस को मांगदेय ड्राफ्ट के रूप में रजिस्ट्रार,
अपील अधिकरण, (पता) के पास रसीद संख्या ········ तारीख द्वारा जमा करवा दिया गया है ।
(अपीलार्थी के इस्ताक्षर)

स	त्य	ापः	П

मैं अपीलार्थी घोषणा करता हूं कि उपरोक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है । आज तारीख को सत्यापित

(अपीलार्थी के हस्ताक्षर)

अपीलार्थी का नाम

दस्तावेजों की सूची

स्थान :

तारीख:

[अधिसूचना सं. 99/2016 फा. सं. 149/144/2015-टीपीएल (भाग-2)]

प्रवीण रावल, निदेशक (कर नीति और विधान)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th October, 2016

- **G.S.R. 1004(E).**—In exercise of the powers conferred by section 68 of the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (45 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-
- **1. Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Prohibition of Benami Property Transactions Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the 1st day of November, 2016.
- **2. Definitions.**—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988 (45 of 1988);
 - (b) "Chapter" means a Chapter of the Act;
 - (c) "Form" means a Form appended to these rules; and
 - (d) "Section" means a section of the Act.
- (2) Words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act, the Indian Trusts Act, 1882 (2 of 1882), the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925), the Indian Partnership Act, 1932 (9 of 1932), the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Prevention of Money-Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) and the Companies Act, 2013 (18 of 2013) or the rules made under those Acts, shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts and rules.
- **3. Determination of price in certain cases.**—(1) For the purposes of sub-clause(ii) of clause (16) of the section 2 of the Act, the price shall be determined in the following manner, namely:—
 - (a) the price of unquoted equity shares shall be the higher of,—
 - (I) its cost of acquisition;
 - (II) the fair market value of such equity shares determined, on the date of transaction, by a merchant banker or an accountant as per the Discounted Free Cash Flow method; and
 - (III) the value, on the date of transaction, of such equity shares as determined in the following manner, namely:—

The fair market value of unquoted equity shares = $(A+B - L)\times (PV)/(PE)$ where.

A= book value of all the assets (other than bullion, jewellery, precious stone, artistic work, shares, securities and immovable property) as reduced by,- (i) any amount of income-tax paid, if any, less the amount of income-tax refund claimed, if any, and (ii) any amount shown as asset including the unamortised amount of deferred expenditure which does not represent the value of any asset;

B= the price that the bullion, jewellery, precious stone, artistic work, shares, securities and immovable property would ordinarily fetch on sale in the open market on the date of transaction;

L= book value of liabilities, but not including the following amounts, namely:—

- (i) the paid-up capital in respect of equity shares;
- (ii) the amount set apart for payment of dividends on preference shares and equity shares;
- (iii) reserves and surplus, by whatever name called, even if the resulting figure is negative, other than those set apart towards depreciation;
- (iv) any amount representing provision for taxation, other than amount of income-tax paid, if any, less the amount of income-tax claimed as refund, if any, to the extent of the excess over the tax payable with reference to the book profits in accordance with the law applicable thereto;
- (v) any amount representing provisions made for meeting liabilities, other than ascertained liabilities;
- (vi) any amount representing contingent liabilities other than arrears of dividends payable in respect of cumulative preference shares;
- PE = total amount of paid up equity share capital as shown in the balance-sheet;
- PV= the paid up value of such equity shares;
- **4. Furnishing of Information.**—For the purpose of sub-section (2) of section 21, the income-tax authority referred to in sub-section (1) of the section 285BA of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or such other authority or agency which is prescribed under sub-section (1) of section 285BA shall electronically transmit a copy of statement received by it under sub-section (1) of section 285BA of that Act to the Initiating Officer or such authority or agency authorised by the Initiating Officer on or before fifteen days from the end of the month in which said statement is received.
- **5. Provisional attachment.**—For the purposes of sub-section (3) of section 24, the Initiating Officer shall provisionally attach any property in the manner provided in the Second Schedule of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).
- **6. Confiscation of property under second proviso to sub-section (1) of section 27.**—(1) Where an order of confiscation of property under sub-section (1) of section 27 has been made, the Adjudicating Authority shall send a copy of the order to the Authorised Officer.
 - (2) Where an order referred to in sub-rule (1) has been received by the Authorised Officer in respect of any immovable property, he shall,-
 - (i) forthwith issue notice to the authority of the Central Government or a State Government, as case may be, having jurisdication for the purposes of registration of such immovable property, intimating about the confiscation of the property;
 - (ii) arrange to place copy of the notice at some conspicuous part of the immovable property for the benefit of general public mentioning clearly therein, in English and in vernacular language, that the property has been confiscated under the Act and vests absolutely in the Central Government;
 - (iii) arrange to make a proclamation for the confiscation of immovable property at some place on or near such property by beat of drum or other customary mode.
 - (3) Where an order referred to in sub-rule (1) has been received by the Authorised Officer in respect of any movable property, he shall,-

- (i) forthwith issue a notice to the authority or person having the custody of such movable property informing him about the confiscation of such property; or
- (ii) sell the property, if the property is liable to speedy and natural decay or the expenses for maintenance is likely to exceed its value, with the leave of the concerned Adjudicating Authority, and deposit the sale proceeds in the nearest Government Treasury or branch of the State Bank of India or its subsidiaries or in any nationalised bank in fixed deposit and retain the receipt thereof:

Provided that where the owner of the property furnishes the fixed deposit receipt of State Bank of India or its subsidiaries or a nationalised bank equivalent to the value of property in the name of Administrator, the authorised officer may accept and retain such fixed deposit receipt as security:

Provided further that where the movable property is a mode of conveyance of any description, the authorised officer, after obtaining its valuation report from the Motor Licensing Authority or any other authority, as the case may be, may accept and retain the fixed deposit receipt of State Bank of India or its subsidiaries or a nationalised bank, equivalent to the value of the movable property as security in the name of Administrator:

- (iii) cause to deposit the property consisting of cash, Government or other securities or bullion or jewellery or other valuables in a locker in the name of the Administrator or in the form of fixed deposit, as the case may be, in State Bank of India or its subsidiaries or in any nationalised bank and retain the receipt thereof;
- (iv) cause to get the property in the form of shares, debentures, units of Mutual Fund or instruments to be transferred in favour of Administrator;
- (v) issue a direction to the bank or financial institution, as the case may be, to transfer and credit the money to the account of the Administrator, where the property is in the form of money lying in a bank or a financial institution.

Explanation.- For the purposes of this rule, an "Authorised Officer" means an Income Tax Officer who is authorised by the Adjudicating Authority in this behalf.

- **7. Receipt of confiscated property under sub-section (1) of section 28.**—The Administrator shall, at the time of receiving the confiscated property, ensure proper identification of such property with reference to its particulars mentioned in the order made under sub-section (1) of section 27.
- **8. Management of confiscated property under sub-section (1) of section 28.**—(1) Where the property confiscated is of such a nature that its removal from the place of attachment is impracticable or its removal involves expenditure out of proportion to the value of the property, the Administrator shall arrange for the proper maintenance and custody of the property at the place of its attachment.
 - (2) If the property confiscated consists of cash, Government or other securities, bullion, jewellery or other valuables, the Administrator shall cause to deposit them for safe custody in the nearest Government Treasury or a branch of the Reserve Bank of India or the State Bank of India or its subsidiaries or in any authorised bank.
 - (3) The Administrator shall maintain a register containing the details in Form No. 1 annexed to these rules for recording entries in respect of moveable property, such as cash, Government or other securities, bullion, jewellery or other valuables.
 - (4) The Administrator shall obtain a receipt from the Treasury or the bank, as the case may be, against the deposit of moveable properties stated in sub-rule (2).
 - (5) The Administrator shall maintain a register containing the details in Form No. 2 annexed to these rules for recording entries in respect of property other than the properties referred to in sub-rule (2).
- **9. Disposal of confiscated property under sub-section (3) of section 28.**—Where the Central Government directs that the property vested in it under sub-section (3) of section 27 be disposed of, then, the administrator shall arrange to dispose of the property in the manner provided in the Second Schedule to the Income-tax Act, 1961(43 of 1961).
- 10. Appeals to the Appellate Tribunal.—(1) An appeal to the Appellate Tribunal under sub-section (1) of

section 46 of the Act shall be filed in Form No. 3 annexed to these rules.

- (2) At the time of filing, every appeal shall be accompanied by a fee of ten thousand rupees.
- (3) The appeal shall set forth concisely and under distinct head the grounds of objection to the order appealed against and such grounds shall be numbered consecutively; and shall specify the address of service at which notice or other processes of the Appellate Tribunal may be served on the appellant and the date on which the order appealed against was served on the appellant.
- (4) Where the appeal is preferred after the expiry of the period of forty-five days referred to in sub-section (1) of section 46, it shall be accompanied by a petition, in quadruplicate, duly verified and supported by the documents, if any, relied upon by the appellant, showing cause as to how the appellant had been prevented from preferring the appeal within the period of forty-five days.

FORM 1

[See rule 8(3)]

MANAGEMENT OF CONFISCATED PROPERTY REGISTER (MOVEABLE).

Order number:

Date of receipt of properties:

Description of properties (quantity, amount, estimated value):

Name(s) and address(es) of the benamidar and beneficial owner, if his identity is known:

Name and address of the Treasury or bank where the properties are deposited for safe custody:

Date and time of deposit of confiscated properties in the Treasury or bank:

Receipt number with date of the receipt obtained from the Treasury or bank:

Remarks of the Administrator:

(Signature of the Administrator)

Name of the Administrator

Date:

(Seal)

FORM 2

[*See* rule 8(5)]

MANAGEMENT OF CONFISCATED PROPERTY REGISTER (IMMOVEABLE)

Order Number:

Date of receipt of properties:

Description of properties:

(In case of land:- area, survey number, plot number, location and complete address. In case of building: house number, location and complete address)

Name(s) and address(es) of the benamidar and beneficial owner, if his identity is known:

Remarks of the Administrator:

(Signature of the Administrator)

Name of the Administrator

Date:

(Seal)

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 11

FORM 3
[See rule 10(1)]
From
(Mention name and address of the appellant here).
Γο
The Registrar,
Appellate Tribunal
(Address)
Sir,
The above-named appellant, begs to prefer this appeal under section 46 of the Prohibition of Benami Propert Transactions Act, 1988 against order Number dated passed by the Adjudicating Authorit (address of Adjudicating Authority) under the said Act on the following facts and grounds.
FACTS
(Mention briefly the facts of the case here. Enclose copy of the order passed by the or Adjudicating Authority and copie of other relevant documents, if any.)
GROUNDS
(Mention here the grounds on which appeal is preferred).
PRAYER
In the light of what is stated above, the appellant prays for the following relief:-
RELIEF SOUGHT
(Specify the relief sought)
DECLARATION
The fee payable for this appeal as mentioned in sub-rule (2) of rule 10 has been deposited in the form of demand draw with the Registrar, Appellate Tribunal,(Address) vide receipt number dated
(Signature of the Appellant (Name of the Appellant
VERIFICATION
I the appellant, do hereby declare that the facts stated above are true to the best of my information and belief.
Verified today theday of
(Signature of the Appellant
(Name of the Appellant
List of documents:

 $[Notification\ No.\ 99/2016/\ F.\ No.\ 149/144/2015-TPL\ (Part-II)]$

PRAVIN RAWAL, Director (Tax Policy & Legislation)

Place: Date: